(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 52/2023-State Tax

Dated: 02/06/2025

No. F.3 (07)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 475 -In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,namely: —

—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), rule 28 shall be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of supply of services by a supplier to a recipient who is a related person, by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient, shall be deemed to be one per cent of the amount of such guarantee offered, or the actual consideration, whichever is higher.".

3. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (3), for the words "proper officer shall issue an order", the words "proper officer shall issue an intimation" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 159, in sub-rule (2), after the words "Commissioner to that effect", the words "or on expiry of a period of one year from the date of issuance of order under sub-rule (1), whichever is earlier," shall be inserted.

5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in PART-B, in serial number 2, after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xiva) One Person Company".

6. In the said rules, for **FORM GST REG-08**, the following form shall be substituted, namely:–

"

FORM GST REG-08
[See rule12(3)]

Reference No

Date:

To
Name:
Address:
Application Reference No.(ARN) Date:

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This is in reference to the request raised vide letter/mail dated ……. for cancellation of registration under the Act due to the following reason, namely:–

i.
ii.

The undersigned is of opinion that the effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. You are required to furnish pending returns immediately.

3. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

OR

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This has reference to the show-cause notice issued dated……….

o Whereas no reply to the show cause notice has been submitted,

and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or

o Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______,

and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) :– or

o Whereas no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through authorised representative,

and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s) : or

o Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, but you or authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission,

and whereas, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or

o Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______. But, you or authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date. and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or

o Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______ and you or authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing. And whereas, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) :

i.
ii.

The effective date of cancellation of registration is<<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

3. You are required to furnish pending returns immediately.

4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:
Date:
Signature

Name of the Officer
Designation
Jurisdiction";

7. In the said rules, in **FORM GSTR-8,-**

(a) serial number 5 shall be omitted;

(b) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :–

"7. Interest, late fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3

(I) Interest on account of TCS in respect of		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(II) Late fee		
(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

";

(c) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:–

"9. Debit entries in cash ledger for TCS, interest and late fee payment [to be populated after filing of statement]

Description	Tax	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

".

8. In the said rules, in **FORM GST PCT-01**, in PART-B, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number 4 and entries shall be substituted, namely:-

"

4	Enrolment sought:	(1) Chartered Accountant (2) Company Secretary (3) Cost and Management Accountant (4) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Law (5) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Commerce (6) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Banking including Higher Auditing (7) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Administration (8) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Management (9) Degree examination of any Foreign University recognized by any Indian University (10) Retired Government Officials (11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years (12) Tax return preparer under existing law for a period of not less than five years (13) Any other examination notified by Government

Note: Sr. No. (4) to (8) of the table should be from an Indian University established by any law for the time being in force.

";

9. In the said rules, in **FORM GST DRC-22**, after the last paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"This order shall cease to have effect, on the date of issuance of order in FORM GST DRC-23 by the Commissioner, or on the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order, whichever is earlier.".

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-I/342, dated 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 51/2023 – State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/04, dated 1st January, 2025.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (07)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 575 **Dated: 02/06/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 52/2023–राज्य कर

दिनांकः 02/06/2025

फा0सं0 3(07)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/475 – दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद् द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 में और अधिक संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : –

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ–** (1) इन नियमों को दिल्ली माल एवं सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023 कहा जाए।

   (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल एवं सेवा–कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 28 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक संबंध व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 142 के उपनियम (3) में "प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05 में आदेश" शब्दों और अंको के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05 में सूचना" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 159 के उपनियम (2) में, "जो केवल आयुक्त के निमित्त लिखित अनुदेशों पर" शब्दों के पश्चात् "या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी आरईजी–01** के भाग–ख में, क्रम संख्यांक 2 में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   "(xivक) एक व्यक्ति कंपनी"।

6. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी आरईजी–08** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्:–

प्ररूप जीएसटी आरईजी–08
[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ संख्या दिनांक :

सेवा में,

नाम :
पता :
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) दिनांक :

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तारीख.......................
...के द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्: –

i.
ii.

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख < ताता/मामा/वववव > है।

2. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

3. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ देखें।

4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पहले या बाद में अवधारित किए गए हैं।

या

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह दिनांक............... को जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ है।

- चूँकि, कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है,

  और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख......................द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

  और कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है; या

- कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे,

  और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या

- कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया,

  और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है: या

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख......................द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल नहीं हुए थें,

  और कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर तथा इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है: या

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर तारीख.....................के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए थे, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया था,

  और अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ–साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है तथा उसकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है:

  i.
  ii.

  रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख <ताता/मामा/वववव> है।

2. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ देखें।
3. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।
4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पहले या बाद में निर्धारित किए गए हैं।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
अधिकारिता

7. उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटीआर–8 में,**

(क) क्रम संख्यांक 5 का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"7. देय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

वर्णन	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ....की बाबत टीसीएस क लेखें ब्याज		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केंद्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(II) विलंब फीस		
(क) केंद्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

(ग) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"9. टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस संदाय के लिए नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां (विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित)

वर्णन	कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			

8. उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटी पीसीटी–01,** के भाग–ख में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक 4 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

4	चाहा गया नामांकनः	(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (2) कंपनी सचिव (3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (4) विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री

		(6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (7) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (9) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा (10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी (11) विद्यमानविधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी (12) विद्यमानविधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए करविवरणी तैयार करने वाला (13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा

टिप्पणः सारणी की क्रम संख्या (4) से क्रम संख्या (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए।

9. उक्त नियमों के, प्ररूप जीएसटी डीआरसी–22 में अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"यह आदेश, आयुक्त द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी–23 में आदेश जारी किए जाने की तारीख को या इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा।"

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 22 जून, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV, खंड 3, उप–खंड (i) में फा0 सं0 3(10)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–I/342 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2023 – राज्य कर द्वारा संशोधित किया गया था जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2025 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV, खंड 3, उप–खंड (i) में फा0 सं0 3(20)/वित्त (व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/04 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (07)/वित्त (व्यय– I)/2025–26/डीएस– I / 475 दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)